

प्रेषक:

विरेक अग्रवाल,
नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर,
जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी।

सेवा में,

सी0पी0सी0 ई-कोर्ट प्रोजेक्ट,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

विषय:-नव-सृजित जनपद सम्भल, स्थित चन्दौसी में डेस्कटॉप बेस्ड विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के यूजर आई0डी0 टेस्टिंग न हो पाने के संबंध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सी0पी0सी0 कार्यालय के पत्र दिनांक 26.08.2019 के संबंध में सादर अवगत कराना है कि बाह्य न्यायालय चन्दौसी को डेस्कटॉप बेस्ड विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसे न्यायालय में इंस्टॉल करा दिया गया है। परन्तु सिस्टम असिस्टेंट की आख्या दिनांक 28.08.2019 के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि उक्त सिस्टम को चलाने के लिये लैन कनेक्शन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण यूजर आई0डी0 की टेस्टिंग करना संभव नहीं है।

जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी के डेस्कटॉप बेस्ड विडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के लिये लैन उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में मेरे द्वारा पत्र सं0 918/2019 जनपद सम्भल स्थित चन्दौसी, दिनांक 06.08.2019, (कॉपी संलग्न) आपको प्रेषित किया गया था परन्तु उक्त के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

Virek
28/8/19

(विरेक अग्रवाल)

नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर,
जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

पत्रांक सं0 991/2019 जनपद सम्भल स्थित चन्दौसी दि0 28/08/19

सेवा में,

सी0पी0सी0 ई-कोर्ट प्रोजेक्ट,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

जनपद न्यायाधीश सम्भल,

स्थित चन्दौसी।

28/8/19
JK

District Judge
Sambhal at
Chandausi

सेवा में,

नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर,
जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी।

विषय: जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी में डेस्कटॉप बेस्ड विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के आई0डी0 टेस्टिंग के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सी0पी0सी0 कार्यालय के पत्र दिनांक 26.08.2019 के संबंध में यह सूचित करना है कि सम्भल स्थित चन्दौसी में डेस्कटॉप बेस्ड विडियों कॉन्फ्रेंसिंग लगवाये जाने हेतु सभी हार्डवेयर उपलब्ध करा दिये गये हैं परन्तु उक्त सिस्टम को चलाने हेतु लैन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है जिस कारण यूजर आई0डी0 की टेस्टिंग करना संभव नहीं है।

आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक- 28.08.2019

Vivek Kumar Mishra

विवेक कुमार मिश्रा
सिस्टम असिस्टेंट,
जनपद न्यायालय,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रेषक:

विरेक अग्रवाल,
नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर,
जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी।

सेवा में,

सी0पी0सी0 ई-कोर्ट प्रोजेक्ट,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

विषय:—नव-सृजित जनपद सम्भल, स्थित चन्दौसी में डेस्कटॉप बेस्ड विडियों कॉन्फ्रेंसिंग लगवाने हेतु लैन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि बाह्य न्यायालय चन्दौसी को डेस्कटॉप बेस्ड विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसे न्यायालय में इंस्टॉल करा दिया गया है। परन्तु सिस्टम असिस्टेंट की आख्या दिनांक 06.08.2019 के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि उक्त सिस्टम को चलाने के लिये लैन कनेक्शन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण डेस्कटॉप बेस्ड विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का संचालन प्रारंभ नहीं हो पाया है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

Virek
6/8/19

(विरेक अग्रवाल)

नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर,
जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

पत्रांक सं० 918/2019 जनपद सम्भल स्थित चन्दौसी दि० 6-8-19

सेवा में,

सी0पी0सी0 ई-कोर्ट प्रोजेक्ट,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

Krupali
जनपद न्यायाधीश, सम्भल
स्थित चन्दौसी।
District Judge
Bambhal at
Chandauli